

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष:-श्री एम०के० सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 346-तीन/2002 के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 31-12-2001 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 350/2000-01/अपील

.....

मंगीलाल पुत्र श्री सीताराम,
निवासी -ग्राम पाण्डोली, तहसील व
जिला-श्यापुर (म०प्र०)

..... आवेदक

विरुद्ध

- 1- मांगीबाई पुत्री श्री कन्हैयालाल पत्नी श्री नेतराम
निवासी- ग्राम नागर गांवड़ा,
तहसील व जिला-श्यापुर, म०प्र०
- 2- गीताबाई पत्नी श्री कन्हैयालाल मीना
निवासी-ग्राम भसुन्दर, तहसील व
जिला- श्यापुर, म०प्र०

.....अनावेदकगण

.....
श्री एस०के० अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक 1, 2 पूर्व से एक पक्षीय है

आदेश

(आज दिनांक 4-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 350/2000-01/अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-2001 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसील श्यापुरकंला के ग्राम पाण्डोला में स्थित विवादित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक 265 रकबा 16 बीघा 10 विस्वा है । उक्त विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी कन्हैयालाल पुत्र लक्ष्मण मीना है । अभिलिखित भूमिस्वामी

Signature

Signature

कन्हैयालाल की मृत्यु हो जाने के कारण विवादित भूमि 16 बीघा 10 विस्वा के भाग 1/4 पर आवेदक मांगीलाल पुत्र सीताराम द्वारा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभिलिखित भूमिस्वामी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके हिस्से की भूमि पर उसकी दोनों पुत्रियां अनावेदक क्र0 1 व अनावेदक क्र0 2 तथा दत्तक पुत्र आवेदक मांगीलाल के नाम नामांतरण किया जावे। नामांतरण पंजी क्र0 27 दिनांक 27.05.97 में दर्ज प्रविष्टि में पटवारी मौजा द्वारा सजरा खानदान के मुताबिक अभिलिखित मृतक भूमिस्वामी कन्हैयालाल के दो पुत्रियों के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं बताया। नामांतरण विवादित हो जाने के कारण पटवारी मौजा द्वारा विचारण न्यायालय की ओर निराकरण के लिये प्रेषित किया तथा प्रकरण में इशतहार जारी किया और पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये जाने के उपरांत दिनांक 30.12.1998 को मृतक अभिलिखित भूमिस्वामी कन्हैयालाल के स्थान पर अनावेदकगण के साथ-साथ आवेदक का भी समान भाग पर नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक क्रमांक 1 मांगीबाई द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 36/98-99/अपील माल में दर्ज होकर, दिनांक 11.07.2001 द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखा। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां के इसी आदेश के विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के यहां द्वितीय अपील पेश की गई, जिसमें 350/2000-01/अपील दर्ज होकर दिनांक 31.12.2001 को द्वितीय अपील स्वीकार की गई तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधि के विपरीत आदेश पारित किया गया है। द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप को सही नहीं समझा है और न ही अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाहन किया है। उक्त प्रकरण में तथ्यों के सम्बन्ध में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के एक निर्णयों को निरस्त करने में भूल की है। प्रार्थी ने साक्ष्य से मृतक का दत्तक पुत्र होना सिद्ध किया है। इसके विपरीत कोई खण्डन साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं है, फिर भी प्रार्थी को दत्तक पुत्र मानने से इन्कार किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में लिखित




दस्तावेज होना कानूनन आवश्यक नहीं है । प्रार्थी की ओर से जो साक्ष्य प्रारंभिक न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था एवं जिन गवाहों के कथन कराये थे, उन पर बिना विचार किये ही आदेश पारित किया गया है । जिन गवाहों के कथनों पर विचार कर प्रारंभिक न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय ने आदेश पारित किया है वे कथन क्यों कर विश्वसनीय नहीं है का कोई कारण विवादित आदेश में नहीं बताया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।


5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी कन्हैयालाल के भूमिस्वामित्व की भूमि पर उनके स्थान पर अनावेदकगण के साथ-साथ दत्तक पुत्र होने के कारण आवेदक मांगीलाल के नाम भी विवादित भूमि पर समान भाग पर नामांतरण स्वीकार कर दिया गया । विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक मांगीलाल को किस आधार पर अभिलिखित भूमिस्वामी कन्हैयालाल का दत्तक पुत्र होना माना है, यह स्पष्ट नहीं है । विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका में कही भी ऐसा कोई प्रमाण अथवा लेखी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, जिसके अवलोकन से यह विश्वास किया जा सके कि मृतक कन्हैयालाल द्वारा आवेदक को गोद लिया गया हो अथवा दत्तक पुत्र माना गया हो । मात्र आवेदक के कहने मात्र से दत्तक सिद्ध नहीं हो सकता । आवेदक को प्रमाणित करना चाहिये था कि वह दत्तक पुत्र है, किन्तु आवेदक की ओर से कुछ भी ऐसे दस्तावेज पेश नहीं किये गये, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि वह भी दत्तक पुत्र है एवं उक्त विवादित भूमि का हकदार भी है । दत्तक पुत्र सिद्ध करने के लिये प्रमाणित अथवा सबूत का भार भी आवेदक पर ही था । न तो विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर विचार किया गया और न ही अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा ही इन बिन्दूओं पर कोई गौर किया गया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक को अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक कन्हैयालाल का दत्तक पुत्र मान्य कर उसके नाम समान भाग पर विवादित भूमि पर नामांतरण स्वीकार किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इसी आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में कोई त्रुटि





नहीं की है । विवादित भूमि पर अभिलिखित भूमिस्वामी कन्हैयालाल के स्थान पर उसकी वारिस दोनों पुत्रियों के नाम नामांतरण प्रमाणित किया गया है । ऐसे में अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक कन्हैयालाल के नाम के स्थान पर उसकी दोनों पुत्रियों का नामांतरण स्वीकार किये जाने योग्य है और अपर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है, उसमें कोई भी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती ।
6/ ऊपर वर्णित तथ्यों के विवेचना के प्रकाश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसंगत न होने से स्थिर रखे योग्य नहीं है । इसी स्तर पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया है । मैं अपर आयुक्त के इस आदेश से सहमत हूँ । फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

P
/Ase


(एम०के० सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर